



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



क्र./नि.ले.-I/का.आ./2025-26/D-142

दिनांक: 02.07.2025

कार्यालय आदेश

विषय : IFMIS के माध्यम से सम्पूर्ण लेखा प्रेषित किये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माह 07/2025 के लेखे से IFMIS के लेखे का Data सीधे VLC System में दर्ज किये जाने की प्रक्रिया की जानी है। जिस हेतु यह अति आवश्यक है कि IFMIS Generated मासिक लेखे त्रुटि रहित हों। अतः इस सम्बन्ध में समस्त निर्माण संभागों के संबंधित वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापाल को निर्देशित किया जाता है कि माह 07/2025 के मासिक लेखे से अपने संबंधित संभागों के IFMIS लेखे में परिलक्षित हो रही त्रुटियाँ जैसे प्राप्ति शीर्ष में बजट अनुसार पूर्ण वर्गीकरण न होना, आयकर कटौती एवं PW cheques के लिए सही वर्गीकरण (8658-112-314 एवं 8782-102-02) नहीं होना आदि को दूर कर IFMIS लेखे इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाया है कि सभी Vouchers एवं Schedule Docket भी IFMIS के माध्यम से भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

(प्राधिकार : उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) के आदेश दिनांक 02.07.2025)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / नि.ले.-1